न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 101/2023
GCMS No. - 2023/189
निर्णय दिनांक : 28.03.2025

1. रामकोरी पत्नी उदाराम जाति मेघवाल कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. कमला देवी पत्नी भंवरलाल पुत्री स्व. उदाराम जाति मेघवाल कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. कमलादेवी उर्फ कनू पत्नी मोहनलाल पुत्री स्व. उदाराम जाति मेघवाल कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. डाली देवी पुत्री स्व. उदाराम जाति मेघवाल कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. भीवाराम पुत्र स्व. उदाराम जाति मेघवाल कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. वनास्पति पत्नी समदरसिंह कौम मेघवाल निवासीनी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
7. संगीता पुत्री स्व. समदरसिंह पुत्र उदाराम तमाम कौम मेघवाल निवासी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
8. संजू पुत्री स्व. समदरसिंह पुत्र उदाराम तमाम कौम मेघवाल निवासी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
9. आशा नाबालिग पुत्री स्व. समदरसिंह जरिये प्राकृति संरक्षक अपनी माता वनास्पति पत्नि स्व. समदरसिंह तमाम कौम मेघवाल निवासी ढ़ाकावाली तह. सुजानगढ़ जिला चूरू
10. रविप्रकाश नाबालिग पुत्र स्व. समदरसिंह जरिये प्राकृति संरक्षक अपनी माता वनास्पति पत्नि स्व. समदरसिंह तमाम कौम मेघवाल निवासी ढ़ाकावाली तह. सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र मशाराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सुजानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील कार्यालय सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक

उपस्थित :–

1. श्री मघनाथ सिद्ध एडवोकेट वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राज पैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता व दादा मनशाराम कि खातेदारी भूमि गत खसरा संख्या 13, 14, 15, 74, 75, 56, 69 व 70 वाके रोही ढाकावाली तहसील सुजानगढ में स्थित थे। उक्त खसरे जात की भूमि का पक्षकारान द्वारा अपनी व्यवस्थानुसार पूर्व में खाता विभाजन भी करवा रखा है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन नहीं हुआ है जिसे पक्षकारान अब मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार गलत हुई तरमीम को सही एवं शुद्ध करवाना चाहते हैं तथा हम पक्षकारान एक ही दादा मनशाराम के वंशज है जिसे समझने के लिये वंशवृक्ष संलग्न दावा है। उपरोक्त खसरेजात के वर्तमान खसरा संख्या 13, 452/69, 56, 74 प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में है जबकि खसरा संसरा 15, 451/69, 499/450 खसरा संख्या 14/450, 70, 75 वादीगण के पिता व दादा उदाराम के हिस्से पांति में था लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं है जिसे समझने हेतु नक्शा तरमीम दावा के संलग्न है जिसे दावा में वादगत भूमि कहा गया है।

वर्तमान में काश्तकार उपरोक्त खसरेजात की भूमि को इस प्रकार से कब्जा काश्त में रखवाना चाहते हैं कि खेत खसरा संख्या 13, 56, 74 प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति व कब्जे काश्त में है, जबकि खसरा संख्या 15, 70 व 75 वादीगण के हिस्से पांति में है लेकिन खेत खसरा संख्या गत 56, 69, 70 की तरमीम गलत हो जाने से वादीगण को काफी परेशानियां हो रही है जो वादीगण सही तरमीम करवाने की घोषणा करवाना चाहते हैं। खेत खसरा संख्या 56 कुल तादादी 2.5290 हैक्टेयर में से 1.7705 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी हीरालाल तथा 0.7587 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की भूमि वादीगण के इसी प्रकार खेत खसरा संख्या गत 69 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 451/69, 452/69 कुल तादादी 1.0368 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में वादीगण की 0.5058 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 0.3794 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में तथा पूर्वी तरफ की 0.6576 हैक्अेयर भूमि वादीगण के हिस्से पांति में रखी जावे तथा उक्त तरमीम जो पूर्वी पश्चिम तरफ की गई है को शुद्ध किया जाकर उसे उतरी दक्षिणी तरफ की जावे। इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 70 कुल तादादी 3.5026 हैक्टेयर जो अकेले वादीगण के हिस्से में है उसे मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पूर्वी तरफ की लगभग 2.5925 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में तथा पश्चिमी तरफ की 0.9106 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में रखी जाकर खाता व लगान अलग की जाकर नक्शे में तरमीम की जावे। इसी प्रकार खातेदारान मौके पर काबिज हैं तथा कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त तरमीम तथा विभाजन से किसी भी खातेदार की भूमि कम या ज्यादा नहीं हो रही है तथा पूर्व में गलत तरमीम की वजह से खातेदारान के मध्य मन मुटाव तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी से बचने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी से सहमति के आधार पर तरमीम शुद्धि हेतु निवेदन किया लेकिन दिनांक 29.11.2023 को स्पष्ट इंकार होने से वादीगण ने उक्त दावा पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 भू अधिकारी होने से उन्हे दावा में पक्षकार बनाया गया है।

वादगत भूमि रोही ढ़ाकावाली तहसील सुजानगढ़ का रिकॉर्ड दुरूस्ती तरमीम शुद्धि होने से उक्त वाद की सुनवाई व श्रवणाधिकार तथा क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। अतः दावा वादीगण डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 01.02.2024 को वादीगण मय अपने अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 01 हीरालाल स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या 56 कुल तादादी 2.5290 हैक्टेयर में से 1.7704 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी हीरालाल तथा 0.7586 हैक्टेयर भूमि जो खसरा संख्या 56 के पूर्वी तरफ की वादीगण के इसी प्रकार खसरा संख्या गत 69 के वर्तमान खसरा संख्या 451/69, 452/69 कुल तादादी 1.0368 हैक्टेयर में से 0.3793 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की प्रतिवादी हीरालाल तथा पूर्वी तरफ की 0.6575 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से पांति में रखी जावे तथा उक्त पूर्व तरमीम जो पूर्वी–पश्चिमी तरफ की गई है को शुद्ध किया जावे जिसे सही उत्तरी–दक्षिणी तरफ की जावे। खेत खसरा संख्या 70 कुल तादादी 3.5026 हैक्टेयर भूमि जो अकेले वादीगण के हिस्से में जिसे मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार पूर्वी तरफ की 2.5923 हैक्टेयर भूमि वादीगण तथा खसरा संख्या 70 के पश्चिमी तरफ की 0.9103 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में रखी जावे और खसरा संख्या 15 तादादी 2.1370 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नं 499/450 तादादी 0.2529 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 75 तादादी 0.0505 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी के हिस्से पांति में रखी जावे तथा खसरा नं. 13 तादादी 3.0348 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 74 तादादी 0.1011 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी के हिस्से पांति में रखी जावे व नक्शे में तरमीम की जावे।

खेत खसरा संख्या 56 मी. पश्चिमी 1.7704 हैक्टेयर खसरा संख्या गत 69 के वर्तमान खसरा संख्या 451/69, 452/69 कुल तादादी 1.0368 हैक्टेयर में से गत खसरा संख्या 69 मी. पश्चिमी 0.3793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 मी. पश्चिमी तरफ की 0.9103 हैक्टेयर यानि कुल 3.0605 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 13 तादादी 3.0348 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 74 तादादी 0.1011 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि यानि कुल किता 5 कुल तादादी 6.1959 हैक्टेयर प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में रखी जाकर खाता व लगान अलग किया जावे तथा नक्शे में तरमीम की जावे।

खेत खसरा संख्या 56 मी. पूर्वी 0.7586 हैक्टेयर, खसरा संख्या 69 गत मी. पूर्वी 0.6575 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 मी. पूर्वी 2.5923 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 15 तादादी 2.1370 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 499/450 तादादी 0.2529 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 75 तादादी 0.0505 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल किता 06 कुल तादादी 6.4488 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 6 ता 10 का 1/6 बहिब हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 5 का 5/6 बहिब हिस्सा भूमि हिस्से पांति में रखी जाकर खाता व लगान अलग कर नक्शे में तरमीम की जावे। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 की ओर से राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होने का अंकन आदेशिका पर किया।

बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादगणी ने दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

आदेश

घोषित किया जाता है कि खेत खसरा संख्या 56 कुल तादादी 2.5290 हैक्टेयर में से 1.7704 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी हीरालाल तथा 0.7586 हैक्टेयर भूमि जो खसरा संख्या 56 के पूर्वी तरफ की वादीगण के इसी प्रकार खसरा संख्या गत 69 के वर्तमान खसरा संख्या 451/69, 452/69 कुल तादादी 1.0368 हैक्टेयर में से 0.3793 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की प्रतिवादी हीरालाल तथा पूर्वी तरफ की 0.6575 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से पांति में रखी जावे तथा उक्त पूर्व तरमीम जो पूर्वी–पश्चिमी तरफ की गई है को शुद्ध किया जावे जिसे सही उतरी–दक्षिणी तरफ की जावे। खेत खसरा संख्या 70 कुल तादादी 3.5026 हैक्टेयर भूमि जो अकेले वादीगण के हिस्से में जिसे मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार पूर्वी तरफ की 2.5923 हैक्टेयर भूमि वादीगण तथा खसरा संख्या 70 के पश्चिमी तरफ की 0.9103 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में रखी जावे और खसरा संख्या 15 तादादी 2.1370 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नं 499/450 तादादी 0.2529 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 75 तादादी 0.0505 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी के हिस्से पांति में रखी जावे तथा खसरा नं. 13 तादादी 3.0348 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 74 तादादी 0.1011 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी के हिस्से पांति में रखी जावे। वादीगण के हिस्से पांति की भूमि में वादी संख्या 6 ता 10 का 1/6 बहिब हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 5 का 5/6 बहिब हिस्सा भूमि हिस्से पांति में रखी जाकर खाता व लगान अलग कर नक्शे में तरमीम की जावे। निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

(मुद्रा: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस

रामकोरी आदि बनाम हीरालाल आदि

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती, घोषणात्मक

मुकदमा न0 101 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री मघनाथ सिद्ध एड. मिनजानिब मुदई .. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषित किया जाता है कि खेत खसरा संख्या 56 कुल तादादी 2.5290 हैक्टेयर में से 1.7704 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी हीरालाल तथा 0.7586 हैक्टेयर भूमि जो खसरा संख्या 56 के पूर्वी तरफ की वादीगण के इसी प्रकार खसरा संख्या गत 69 के वर्तमान खसरा संख्या 451/69, 452/69 कुल तादादी 1.0368 हैक्टेयर में से 0.3793 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ की प्रतिवादी हीरालाल तथा पूर्वी तरफ की 0.6575 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से पांति में रखी जावे तथा उक्त पूर्व तरमीम जो पूर्वी–पश्चिमी तरफ की गई है को शुद्ध किया जावे जिसे सही उतरी–दक्षिणी तरफ की जावे। खेत खसरा संख्या 70 कुल तादादी 3.5026 हैक्टेयर भूमि जो अकेले वादीगण के हिस्से में जिसे मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार पूर्वी तरफ की 2.5923 हैक्टेयर भूमि वादीगण तथा खसरा संख्या 70 के पश्चिमी तरफ की 0.9103 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी हीरालाल के हिस्से पांति में रखी जावे और खसरा संख्या 15 तादादी 2.1370 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नं 499/450 तादादी 0.2529 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 75 तादादी 0.0505 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी के हिस्से पांति में रखी जावे तथा खसरा नं. 13 तादादी 3.0348 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 74 तादादी 0.1011 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी के हिस्से पांति में रखी जावे। वादीगण के हिस्से पांति की भूमि में वादी संख्या 6 ता 10 का 1/6 बहिव हिस्सा तथा वादी संख्या 1 ता 5 का 5/6 बहिव हिस्सा भूमि हिस्से पांति में रखी जाकर खाता व लगान अलग कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सुजानगढ़ को दिया जाता है।

चीज .... मुवलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 03. 2024

मुहर (उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़)

दस्तखत (हस्ताक्षर)
ओहदा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुदई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये